न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी – अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 67/10 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. हरिसिंह पुत्र पन्ना जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:––––– प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1 कृष्ण कुमार पुत्र हरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

2 वीरसिंह पुत्र हरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:––––– वादीगण/रेस्पो0

3 उमराव पुत्र थावरिया जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर ––––––––––(मृतक)

3/1 छोटा बेवाह स्व0 उमराव

3/2 दानसिंह पुत्र स्व0 उमराव

3/3 अभयसिंह पुत्र स्व0 उमराव

3/4 धर्मपाल पुत्र स्व0 उमराव

जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 बहरोड जिला अलवर

4 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, बहरोड जिला अलवर

:–––––प्रतिवादीगण/रेस्पो0

<u>अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.4.05 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 7.11.06 द्वारा सहायक कलेक्टर बहरोड</u>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री शैलेन्द्र भार्गव

2. वकील रेस्पो0सं0 1 – श्री चन्द्रमोहन शर्मा

निर्णय दिनांक 24.11.2021

_____ _____

1 यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 93/2003 बाबत इस्तकरारहक व तकसीम आराजी में पारित निर्णय दिनांक 16.4.2005, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण मु0 अनारकली बेवा हरचन्द वगैरा ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 48 एयर, 137 रकबा 71 एयर, 473 रकबा 91 एयर, 724 रकबा 19 एयर, 997 रकबा 15 एयर, 1337 रकबा 14 एयर, 1338 रकबा 20 एयर, 1352 रकबा 15 एयर, 1560 रकबा 7 एयर एवं 1801 रकबा 7 एयर, 1948 रकबा 66 एयर, 1978 रकबा 19 एयर तथा 1351 रकबा 7 एयर वाके ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की खातेदारी की आराजी है । खसरा नम्बर 1801 रकबा 7 एयर में से प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना 1/2 हिस्सा पन्नालाल पुत्र रूडा को बेच दिया । पन्ना लाल फौत हो चुका है । उसका लडका हरिसिंह प्रतिवादी नम्बर 02 है । विवादित आराजी में से 1/2 भाग का खातेदार वादीगण तथा 1/2 भाग का खातेदार प्रतिवादी नम्बर 01 है । पक्षकारान के मौके अनुसार आपसी बटवारा कर रखा है और उसी अनुसार काबिज हैं, परन्तु आराजी का विधिवत बटवारा नहीं हुआ है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जाकर आराजी का बटवारा किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 16.4.2005 द्वारा डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी नम्बर 02 हरिसिंह पुत्र पन्ना ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी का साबिक खसरा नम्बर 1197 रकबा 6 बिस्वा था, जिसका हाल नम्बर 1801 रकबा 7 एयर वाके ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड बनाया गया था । इसके खातेदार रेस्पो0 नम्बर 01 0 2 के पिता स्व0 हरचन्द तथा रेस्पो0 नम्बर 3/1 ला0 3/4 के पति व पिता स्व0 उमराव थे । स्व0 उमराव व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

हरचन्द द्वारा विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 1197 रकबा 6 बिस्वा का बेचान दिनांक 10.8.79 को हमारे पिता पन्नालाल को कर दिया । तब से हमारे पिता काबिज चले आ रहे थे और उनके बाद हम काबिज चले आ रहे हैं । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर हमारे पिता पन्ना पुत्र रूडा के पक्ष में इंतकाल स्वीकृत हो चुका था । तहत अदालत में गलत तौर पर हमारी इकतरफा कार्यवाही कर दी गई थी और प्रतिवादी संख्या 01 उमराव से गलत तौर पर इकबाल दावा पेश करवा कर वाद पत्र डिक्री करवा लिया गया और हमको केवल 3 एयर पर खातेदार घोषित किया तथा शेष 4 एयर पर वादीगण को खातेदार घोषित कर दिया गया, जबकि उक्त 4 एयर से वादीगण का कोई ताल्लुक नहीं है । सम्पूर्ण रकबा 6 बिस्वा अर्थात 7 एयर हमारा खरीदशुदा रकबा है, जिस पर हम काबिज है । हमारी सम्यक रूप से तामील नहीं हुई । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 1997 आर0 आर0 डी0 पेज 01 पेश की ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि इन्होंने अपील मियाद बाहर पेश की है । इनको अपीलाधीन निर्णय की शुरू से ही जानकारी थी । देरी को तभी माफ किया जा सकता है, जब देरी के युक्तियुक्त कारण बताये जावें । अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । विद्वान वकील ने आगे तर्क दिये कि इन्होंने विवादित भूमि खरीद करना और उक्त बयनामा के आधार पर अपने पक्ष में इंतकाल दर्ज होना बताया है । यहां यह गौर करने लायक तथ्य है कि एक इंतकाल वर्ष 2001 में तथा दूसरा इंतकाल वर्ष 2004 में दर्ज हुआ है । क्या एक ही बयनामा के आधार पर 2 इंतकाल स्वीकृत हो सकते हैं । जमाबन्दी में आज भी इनका नाम दर्ज नहीं है । आराजी खसरा नम्बर हाल 1801 रकबा 7 एयर में से 3 एयर रकबे पर इनका अधिकार बनता है, उतने रकबे पर इनको खातेदार घोषित कर दिया गया है । इसलिये अब इनको अपील पेश करने का अधिकार नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि हमारी गलत तौर पर इकतरफा कार्यवाही कर दी गई थी । हमारी सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी । इसलिये अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । जानकारी होने पर जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश कर दी है । जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । देरी को माफ कराने हेतु हमने दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी,

अपील के साथ पेश किया है । इसके अतिरिक्त मैंने आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेंश किये हैं । उन दस्तावेजों से मेरी अपील के तथ्यों की ताईद होती है । विद्वान वकील अपीलांट ने मियाद बिन्दू पर 1997 आर0 आर0 डी0 पेज 285 तथा 1998 आर0 आर0 डी0 पेज 319 पेश की ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय वहस तर्को पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त एवं मियाद बिन्दू पर विद्वान वकील अपीलांट द्वारा पेश की गई नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में तथा विद्वान वकील अपीलांट द्वारा देरी पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है ।

7 दौराने विचारण अपील अपीलांट ने अदालत हाजा में एक प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 पेश किया, जो दिनांक 28.7. 2021 को स्वीकार किया गया था और प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्रहण किया गया था ।

8 अदालत हाजा में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ बयनामा दिनांक 16.7.79, इंतकाल नम्बर 666 दिनांक 14.12.2004, इंतकाल नम्बर 458 दिनांक 20.8.2011 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है, जिनका अवलोकन किया । बयनामा दिनांक 16.7.79 के अनुसार उमराव व हरचन्द ने आराजी खसरा नम्बर 1197 रकबा 6 बिस्वा का बेचान अपीलांट के पिता पन्ना पुत्र रूडा को किया था और मौके पर कब्जा खरीददार पन्ना को करा दिया था । इन्तकाल नम्बर 666, जो पंजीकृत बयनामा दिनांक 18. 8.79 के आधार पर स्वीकृत हुआ था, के द्वारा आराजी हाल खसरा नम्बर 1801 रकबा 7 एयर पर अनारकली बेवा हरचन्द, कृष्ण कुमार व वीर कुमार पिसरान हरचन्द के स्थान पर खरीददार पन्ना का नाम 1/2 भाग पर दर्ज हुआ है । इसी प्रकार इन्तकाल नम्बर 458, जो पंजीकृत बयनामा दिनांक 10.8.79 के आधार पर स्वीकृत हुआ है, के द्वारा उमराव के स्थान पर 1/2 भाग पर पन्ना का नाम दर्ज हुआ है ।

9 उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से सिद्ध है कि अपीलांट के पिता पन्ना ने विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1197 रकबा 6 बिस्वा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी,

वादीगण के पति/पिता हरचन्द तथा प्रतिवादी नम्बर 01 उमराव से खरीदी थी । उक्त साविक खसरा नम्बर 1197 रकबा 6 बिस्वा का हाल नम्बर 1801 रकबा 7 एयर बना है । अपीलांट के पिता पन्ना ने सम्पूर्ण रकबा 6 बिस्वा अर्थात 7 एयर रकबा खरीदा था और उक्त बयनामा के आधार पर पन्ना के पक्ष में इंतकाल भी स्वीकृत हो चुके थे । जब वादीगण के पति/पिता हरचन्द व प्रतिवादी नम्बर 01 उमराव ने सम्पूर्ण रकबा 6 बिस्वा (7 एयर) अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 02 हरिसिंह के पिता पन्ना को बेच दिया था तो फिर तहत अदालत द्वारा उक्त 7 एयर रकबे में से 4 एयर रकबे पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है । लिहाजा अपील स्वीकार कर तहत अदालत के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है ।

10 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.4.2005 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 7.11.2006 आराजी खसरा नम्बर हाल 1801 रकबा 7 एयर वाके ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड की हद तक निरस्त किये जाते हैं, शेष आदेश व डिक्री यथावत रखे जाते हैं ।

11 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी – अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 67/10 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. हरिसिंह पुत्र पन्ना जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:––––– प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1 कृष्ण कुमार पुत्र हरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

2 वीरसिंह पुत्र हरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:––– वादीगण/रेस्पो0

3 उमराव पुत्र थावरिया जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड जिला अलवर ––––––––(मृतक)

3/1 छोटा बेवाह स्व0 उमराव

3/2 दानसिंह पुत्र स्व0 उमराव

3/3 अभयसिंह पुत्र स्व0 उमराव

3/4 धर्मपाल पुत्र स्व0 उमराव

जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 बहरोड जिला अलवर

4 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, बहरोड जिला अलवर

:–––प्रतिवादीगण/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.4.05 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 7.11.06 द्वारा सहायक कलेक्टर बहरोड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री शैलेन्द्र भार्गव

2. वकील रेस्पो0सं0 1 — श्री चन्द्रमोहन शर्मा

पर्चा डिक्री

दिनांक 24.11.2021

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.4.2005 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 7.11.2006 आराजी खसरा नम्बर हाल 1801 रकबा 7 एयर वाके ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड की हद तक निरस्त किये जाते हैं, शेष आदेश व डिक्री यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर